

दिनांक-12.01.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में उत्तर बिहार के सभी जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:-

- (1) श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
- (2) श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
- (3) श्री नजर हुसैन, अपर सचिव
- (4) श्रीमती राज ऐश्वर्या श्री, विशेष कार्य पदाधिकारी

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। उत्तर बिहार के सभी जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया। जो DPRO या ACEO बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित है, उनसे स्पष्टीकरण किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:-प्रशाखा-01, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना)

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये:-

I. पंचायत सरकार भवन के हस्तांतरण तथा क्रियाशीलता की अद्यतन स्थिति:- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक-01.10.2025 को ग्राम पंचायत द्वारा 86, LAEO के द्वारा 221 एवं भवन निर्माण विभाग के द्वारा 189 निर्मित पंचायत सरकार भवन का लोकार्पण किया गया था, परन्तु अररिया, दरभंगा, गोपालगंज, कटिहार, पूर्णियां, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान एवं वैशाली जिलो द्वारा उसका हस्तांतरण कर क्रियाशील करने की प्रगति असंतोषजनक है। सभी DPRO को निदेशित किया गया कि निर्माण एजेंसी से समन्वय कर विधिवत ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करते हुए पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील करना सुनिश्चित किया जाए।

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कराये जाने वाले 1069 पंचायतों सरकार भवनों के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि उत्तर बिहार के कुल 668 स्वीकृत पंचायत सरकार भवन के विरुद्ध मात्र 435 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है। इस संबंध में सभी DPRO को निदेश दिया गया कि तकनीकी सहायक/कनीय अभियंता, LAEO से प्राक्कलन तैयार कर सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति एवं जिला पदाधिकारी से व्यय की स्वीकृति का प्राप्त कर 15 दिनों के अन्दर कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें। सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी के स्तर पर होने वाले जिला समन्वय समिति की बैठक में इसे एजेंडा के रूप में शामिल करें।

कृ०पृ०उ०.....

(अनुपालन:—उत्तर बिहार के सभी जिलों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

III. लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

(क) उत्तरी बिहार के सभी जिलों के लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की समीक्षा की गयी एवं सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया अपने स्तर से अपने जिले के लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की समीक्षा कर उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समायोजन कराने की दिशा में कार्रवाई करेंगे।

विदित हो कि वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा पंचायती राज विभाग को माहवार लगभग 12 हजार करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित करने का लक्ष्य दिया गया है। जिसके अनुरूप विभाग के द्वारा सभी जिलों का लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की राशि का साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, परंतु दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, सुपौल, खगड़िया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा एवं शिवहर जिलो द्वारा साप्ताहिक लक्ष्य के विरुद्ध जमा की गयी उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि काफी कम है। निदेश दिया गया कि सभी DPRO/ACEO अपने स्तर से विस्तृत समीक्षा कर तथा विशेष कैम्प आयोजित कर दिनांक-31.01.2026 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समायोजन करवायें।

Pre CFMS के लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र को जनवरी, 2026 तक समर्पित करने का निदेश वित्त विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त है जिसके अनुरूप सभी जिले कैम्प मोड में उपयोगिता प्रमाण-पत्र बनाकर विभाग को समर्पित करें।

(ख) लंबित ए0सी0 / डी0सी0 विपत्र की जिलावार अद्यतन स्थिति :-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, पश्चिम चम्पारण एवं सहरसा जिलों में लंबित डी0सी0 विपत्र की राशि अधिक है। निदेश दिया गया कि अपने-अपने जिले का लंबित डी0सी0 विपत्रों की राशि का समायोजन कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

(ग) नियुक्ति संबंधी Roaster Clearance की अद्यतन स्थिति:— समीक्षा के क्रम में पाया गया कि उत्तरी बिहार के दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णियां, अररिया, किशनगंज एवं कटिहार जिलों द्वारा पंचायत सचिव से संबंधित रोस्टर विभाग को भेजा गया है। शेष जिलो को निदेशित किया गया कि इस सप्ताह तक पंचायत सचिव से संबंधित रोस्टर तैयार कर प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:—उत्तर बिहार के सभी जिलों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)


सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(मनोज कुमार)
सचिव


पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

लगातार.....


ज्ञापांक:-9प०/विविध-01-247/2023/905/पं०रा० पटना, दिनांक 21/1/2026
प्रतिलिपि:-उत्तरी बिहार के सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।


20.1.26
(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांक:-9प०/विविध-01-247/2023/905/पं०रा० पटना, दिनांक 21/1/2026
प्रतिलिपि:-सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव के आशुलिपिक/निदेशक के
आशुलिपिक/सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा
पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।


20.1.26
(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांक:-9प०/विविध-01-247/2023/905/पं०रा० पटना, दिनांक 21/1/2026
प्रतिलिपि:-आईटीमैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए निदेशित किया
जाता है कि उक्त पत्र सभी संबंधितों को ई-मेल करते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड
करना सुनिश्चित करें।


20.1.26
(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव